उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 01 भाद्रपद, शक संवत्, 1946

(दिनांक : 23 अगस्त, 2024)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख एवं ग"**)
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
8. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

   (कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"घ"**)
9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
10. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

    (1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत रू0 26900 हजार (दो करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

    (2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत रू0 32700 हजार (तीन करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

    (3) विधि एवं न्याय मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 190560 हजार (उन्नीस करोड़ पांच लाख साठ हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) निर्वाचन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत रू0 30600 हजार (तीन करोड़ छः लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 9796751हजार (नौ सौ उन्यासी करोड़ सड़सठ लाख इक्यावन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 2061237 हजार (दो सौ छः करोड़ बारह लाख सैंतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत रू0 23000 हजार (दो करोड़ तीस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) गृह मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 1669399 हजार (एक सौ छियासठ करोड़ तिरानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 10037535 हजार (एक हजार तीन करोड़ पचहत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 4126296 हजार (चार सौ बारह करोड़ बासठ लाख छियानवे हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 5713900 हजार (पांच सौ इकहत्तर करोड़ उन्तालीस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 2267000 हजार (दो सौ छब्बीस करोड़ सत्तर लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रू0 2008837 हजार (दो सौ करोड़ अठ्ठासी लाख सैंतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

Scanned with OKEN Scanner

(14) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 158666 हजार (पन्द्रह करोड़ छियासी लाख छियासठ हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 1101502 हजार (एक सौ दस करोड़ पन्द्रह लाख दो हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0 325098 हजार (बत्तीस करोड़ पचास लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 2098295 हजार (दो सौ नौ करोड़ बयासी लाख पंचानवे हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 930204 हजार (तिरानवे करोड़ दो लाख चार हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 1851025 हजार (एक सौ पचासी करोड़ दस लाख पच्चीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 1640000 हजार (एक सौ चौसठ करोड़ मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 234537 हजार (तेइस करोड़ पैंतालीस लाख सैंतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 481552 हजार (अड़तालीस करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 8150 हजार (इक्यासी लाख पचास हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

Scanned with OKEN Scanner

(24) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 658652 हजार (पैंसठ करोड़ छियासी लाख बावन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग .वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत रू0 401759 हजार (चालीस करोड़ सत्रह लाख उनसठ हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 527313 हजार (बावन करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(27) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 19264 हजार (एक करोड़ बानवे लाख चौसठ हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(28) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 1097831 हजार (एक सौ नौ करोड़ अठ्हत्तर लाख इकतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

(29) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 591888 हजार (उनसठ करोड़ अठारह लाख अठ्ठासी हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए स्वीकार की जाय।

11. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

12. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करेंगे।

13. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।

14. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।

15. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

16. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

17. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

18. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

19. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री यशपाल आर्य, 2. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री हरीश सिंह, 5. श्री काजी निजामुद्दीन, 6. श्री गोपाल सिंह राणा, 7. श्री फुरकान अहमद, 8. श्रीमती ममता राकेश, 9. श्री मनोज तिवारी, 10. श्री मदन सिंह बिष्ट, 11. श्री आदेश सिंह चौहान, 12. श्री विक्रम सिंह नेगी, 13. श्री सुमित हृदयेश, 14. श्री ख़ुशाल सिंह अधिकारी, 15. ई. रवि बहादुर, 16. श्री विरेन्द्र जाति, 17. श्रीमती अनुपमा रावत तथा 18. श्री लखपत सिंह बुटोला।	"उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

20. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

21. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री यशपाल आर्य, 2. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री हरीश सिंह, 5. श्री काजी निजामुद्दीन, 6. श्री गोपाल सिंह राणा, 7. श्री फुरकान अहमद, 8. श्रीमती ममता राकेश, 9. श्री मनोज तिवारी, 10. श्री मदन सिंह बिष्ट, 11. श्री आदेश सिंह चौहान, 12. श्री विक्रम सिंह नेगी, 13. श्री सुमित हृदयेश, 14. श्री खुशाल सिंह अधिकारी, 15. ई. रवि बहादुर, 16. श्री विरेन्द्र जाति, 17. श्रीमती अनुपमा रावत तथा 18. श्री लखपत सिंह बुटोला।	"उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

22. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

23. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2024 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

24. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित किया जाय।

25. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री यशपाल आर्य, 2. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, 3. श्री तिलक राज बेहड़, 4. श्री हरीश सिंह, 5. श्री काजी निजामुद्दीन, 6. श्री गोपाल सिंह राणा, 7. श्री फुरकान अहमद, 8. श्रीमती ममता राकेश, 9. श्री मनोज तिवारी, 10. श्री मदन सिंह बिष्ट, 11. श्री आदेश सिंह चौहान, 12. श्री विक्रम सिंह नेगी, 13. श्री सुमित हृदयेश, 14. श्री खुशाल सिंह अधिकारी, 15. ई. रवि बहादुर, 16. श्री विरेन्द्र जाति, 17. श्रीमती अनुपमा रावत तथा 18. श्री लखपत सिंह बुटोला।	"उत्तराखण्ड राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

26. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

27. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

28. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

29. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखण्ड 2023 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर संशोधनों सहित विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

30. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखण्ड विधेयक, 2023 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, संशोधनों सहित पारित किया जाय।

31. <u>निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः-</u>

1. श्री प्रदीप बत्रा, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निर्माण की जाने वाले मुख्य मार्गों के निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग में अन्तर्गत आने वाले सभी सीवर लाईन, पेयजल पाईप लाईन, भूमिगत विद्युत/दूरसंचार/गैस पाईप लाईन आदि को भूमिगत किए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को मार्ग निर्माण से पूर्व ही सूचित किया जाए ताकि नवनिर्मित मार्गो को उक्त कार्य हेतु बार-बार खोदकर/क्षतिग्रस्त कर राजकीय हानि किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।"

2. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बग्गा चौव्वन को राजस्व ग्राम घोषित किया जाय।"

3. श्री मनोज तिवारी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के प्रतिष्ठित डाक्टर एवं समाजसेवी डा0 गजेन्द्र थापा जी की स्मृति में मेडिकल कालेज अल्मोड़ा के किसी एक भवन का नाम उनके नाम पर रखा जाय।"

4. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के छात्रों के लिये कक्षा-8 तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाकर कक्षा-12 तक कर दिया जाय।"

32. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/ तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।"

Scanned with OKEN Scanner

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डो को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।"

34. श्री उमेश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

35. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सन् 2016 में लालढांग में घोषित उप तहसील की स्थापना की जाय।"

36. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली में निर्मित नवीन संसद भवन के मुख्य भवन का नामकरण संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम तथा उसके अन्तर्गत आने वाले प्रासादों (परिसर) का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाय।"

37. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधान सभा में गौशालाओं की स्थापना की जाय।"

38. श्री संजय डोभाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के नगरीय क्षेत्रों चिन्यालीसौड़ व बड़कोट की विकट पेयजल समस्या का निदान किया जाय।"

Scanned with OKEN Scanner

39. नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरणः-

1. श्रीमती ममता राकेश, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के औद्योगिक ईकाइयों में श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दो सौ पचास बेड का ई0एस0आई0 अस्पताल खोल दिया जाय।"

2. श्री प्रदीप बत्रा, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनों को आयोग में प्रेषित किये जाने से पूर्व इनमें होने वाली अर्हता, रोस्टर प्रणाली, पाठ्यक्रम अन्य सम्बंधी त्रुटियों को दूर करने एवं इनकी समीक्षा किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाय।"

3. श्री महेश जीना, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर कृषि भूमि को सहकारिता के माध्यम से पुनः कृषि योग्य बनाया जाय, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को भी स्थिर किया जा सके।"

4. श्री विक्रम सिंह नेगी, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक और विशिष्ट सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थिति/परिस्थिति के मद्देनजर, इस क्षेत्र को संविधान की पांचवी अनुसूची (शेड्यूल-5) में शामिल करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाय।"

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"

41. श्री उमेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"

Scanned with OKEN Scanner

42. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन" कर दिया जाय।"

43. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउट सोर्सेज से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओ0बी0सी0 लोगों को आउट सोर्सेज के पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाय।"

44. <u>नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण :-</u>

श्री काज़ी निजामुद्दीन, "जनपद हरिद्वार गंगनहर के ऊपर बने क्षतिग्रस्त पुलों को पुनः बनाये जाने के सम्बन्ध में"

45. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

46. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के अन्तर्गत गुलाब शाह पीर राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री फुरकान अहमद, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2024 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

47. विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के नगर पालिका क्षेत्र मण्डलसेरा में कुंती गधेरे व ढुंगाड़ गधेरे के पानी का निस्तारण न होने के सम्बन्ध में" श्रीमती पार्वती दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2024 को दी गई सूचना पर, शहरी विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

भराड़ीसैंण :
दिनांक :22 अगस्त, 2024

(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय सत्र, 2024
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 01 भाद्रपद, शक संवत्, 1946

(दिनांक : 23 अगस्त, 2024)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री लखपत सिंह बुटोला 08.08.2024	**क्या आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत आपदा से कितने गॉव/अर्द्ध नगरीय भाग तथा कितनी सड़के प्रभावित/क्षतिग्रस्त हुई है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बद्रीनाथ विधान सभा में आई भीषण आपदा से क्षतिग्रस्त/प्रभावित गांव/अर्द्धनगरीय क्षेत्र के लोगों का पुनर्वास करने एवं क्षतिग्रस्त सड़को के निर्माण करने की कोई कार्य योजना वर्तमान में चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
श्रीमती ममता राकेश 09.08.2024	**क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड विद्युत मीटर लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के गरीब विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत रीचार्ज करने हेतु समय सीमा एवं विद्युत बिल में छूट प्रदान करने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा

Scanned with OKEN Scanner

नत्थी 'ख'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 (2) के अन्तर्गत द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री विरेन्द्र कुमार 13.02.2024	"विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।" *01. क्या कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेरोजगारी दर को रोकने हेतु कोई कार्य–योजना बना रही है? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कौशल विकास एवं सेवायोजन

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

श्री संजय डोभाल 08.04.2024	*1. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट यमुना घाटी में वर्ष 2022–23 में ओलावृष्टि से बागवानों को भारी नुकसान हुआ है? क्या यह सत्य है कि किसानों ने फसल की सुरक्षा के लिये फसल बीमा करवाया था लेकिन राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक सेब का बीमा नहीं दिया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार आपदा प्रभावित किसानों को बीमा कम्पनी से मुआवजा दिलवायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री बृजभूषण गैरोला 09.04.2024	*2. क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क बनाये जाने की स्वीकृति हो चुकी है ? क्या यह सत्य हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को एक्वा पार्क निर्माण के लिए बजट आवटित किया गया है ? यदि हां तो, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एक्वा पार्क का निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां तो, कब से? यदि नहीं तो क्यों ?	मत्स्य पालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.04.2024	*3. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) से प्रदेश के विभिन्न विभागों/उपक्रमों/संस्थानों में लगभग 20,000 से अधिक कार्मिकों के वेतन से जी.एस.टी. की कटौती की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि अत्यधिक अल्प मानदेय/दैनिक वेतन पर वर्षों से निष्ठा व ईमानदारी से कार्यरत इन कार्मिकों की लगभग रुपये 3000 (तीन हजार) से अधिक धनराशि जी.एस.टी. लगाकर कटौती की जा रही है ? क्या सरकार महंगाई तथा इनके अल्प वेतन को दृष्टिगत रखकर जी.एस.टी. काटे जाने सम्बन्धी कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेकर इन कार्मिकों के साथ न्याय करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण

Scanned with OKEN Scanner

श्री प्रीतम सिंह पंवार 15.04.2024	*4. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पैरा मिलट्री फोर्स के सैनिकों को जिन्हें गैलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित किए गया है, को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाता है ? क्या यह सत्य हैं कि अन्य राज्यों में गैलेन्ट्री अवार्ड प्राप्त पैरा मिलेट्री फोर्स के सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा एक सम्मानजनक धनराशि देकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया जाता है? क्या सरकार राज्य के ऐसे गैलेन्ट्री एवार्डी पैरा मिलट्री फोर्स के सैनिकों को सम्मानित राशि भेट कर सम्मानित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण
श्री गोपाल सिंह राणा 23.04.2024	*5. क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के नानकसागर डैम में मछली मारने का ठेका उत्तराखण्ड सरकार कराती है? क्या यह सत्य है कि इसका राजस्व भी उत्तराखण्ड सरकार को प्राप्त होता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मछली मारने के ठेके से प्रत्येक वर्ष सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता है तथा इस हेतु टेंडर की क्या प्रक्रिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	मत्स्य पालन
श्री महेश जीना 23.04.2024	*6. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में चाय उत्पादन की अपार सम्भावनायें व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2017 से आतिथि तक कुल कितने स्थान चाय बगान के लिए चिन्हित किये गये है और कुल कितने चाय बागान बनाये गये है ? क्या सरकार चाय उत्पादन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय लोगो को रोजगार प्रदान करने तथा पलायन रोकने हेतु भविष्य में सल्ट में चाय बागान स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण
श्री महेश जीना 24.04.2024	*7. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बृहद मात्रा में जैसे पहाड़ी दाले, मिर्च, अदरक, हल्दी आदि कई प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है लेकिन स्थानीय बाजार नहीं होने के कारण उत्पादों का सही मूल्य नही मिल पाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आतिथि तक कुल कितने स्थानीय बाजार स्थापित किये गये है ? क्या सरकार पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय बाजार को स्थापित करके विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि

श्री महेश जीना 25.04.2024	*8. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है और 100 दिन का रोजगार न देने की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट व स्याल्दे में 01 अप्रैल, 2022 से आतिथि तक कितने पंजीकृत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया गया है और कितने श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है ? क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.04.2024	*9. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश मे दिसम्बर, 2023, जनवरी, फरवरी, 2024 में बारिश एवं बर्फवारी बहुत ही कम अथवा नगण्य होने से फलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इससे फलोद्योग में लगे काश्तकारों की आजिविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सूखे अथवा बर्फवारी के अभाव की मार झेल रहे फलोद्योंग/उद्यान काश्तकारों को उचित मुवावजा देगी यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री फुरकान अहमद 10.05.2024 श्री विरेन्द्र कुमार 09.08.2024	*10. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत गन्ना काश्तकारों को वर्ष 2018–19 का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार गन्ना किसानों का पुराना तथा नये मूल्य का भुगतान कब तक करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
श्री प्रदीप बत्रा 22.05.2024	*11. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पैराई सत्र 2023–24 में प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा कितना भुगतान किया गया है तथा किसानों का कितना भुगतान किया जाना अवशेष है ?	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

Scanned with OKEN Scanner

डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट
24.05.2024

*12. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेगे कि विधायक निधि के निर्धारण हेतु कौन सी प्रकिया अपनाई जाती है? क्या इसमें क्षेत्र की भौगोलिक और व्यवस्थागत स्थिति का भी आंकलन किया जाता है कि प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों हेतु समान विधायक निधि कितनी कारगर है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत करायेगे कि वर्तमान समय में विधायक निधि की व्यवस्था में परिवर्तन हेतु सरकार क्या कोई योजना बना रही है ? क्या यह सत्य है कि विधायक की योग्यता का आधार उसके द्वारा विधायक निधि से क्षेत्र में बनाये जाने वाली सड़कों और अन्य कार्यों को माना जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे कि विधायक निधि समाप्त करने अथवा जिस विधान सभा क्षेत्र हेतु जितनी धनराशि की आवश्यक्ता है, उतनी विधायक निधि देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास

श्री संजय डोभाल
01.07.2024

*13. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं हेतु कुल स्वीकृत धनराशि का 70 प्रतिशत धनराशि प्रारम्भ में ही आवंटित हो जाती है, शेष 30 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने पर आवंटित की जाती है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अवशेष 30 प्रतिशत धनराशि का आवंटन योजना के पूर्ण होने के पश्चात कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स इत्यादि कागजात मुख्य विकास अधिकारी, कार्यालय को प्रेषित होने के बाद भी वर्षों तक कार्यदायी संस्था को भुगतान नहीं हो पाता है ? क्या सरकार योजना के कियान्वयन के पश्चात 30 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास

श्री विरेन्द्र कुमार
06.08.2024

*14. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किसानों द्वारा कृषि संयंत्र खरीदने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की नीति क्या है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस नीति के अनुसार किसानों को सब्सिडी दिये जाने में जनपदवार असमानता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस असमानता को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

कृषि

Scanned with OKEN Scanner

अतारांकित प्रश्न

श्री विक्रम सिंह नेगी 08.04.2024	1. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कृषि विभाग में वर्ष 2002– 2003 से प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक–एक मास्टर ट्रेनर मासिक रुपये 7000 मानदेय के आधार पर नियुक्त है और वर्तमान में अपने मानदेय वृद्धि एवं समायोजन के लिए लगातार मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार मास्टर ट्रेनरों के मासिक मानदेय में वृद्धि करेगी तथा मास्टर ट्रेनरों को कृषि विभाग अथवा उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् में एक सुनियोजित ढांचे के अन्तर्गत समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री संजय डोभाल 09.04.2024	**"अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।"** 2. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद स्तर पर आहूत बैठक में ग्राम प्रधान से लेकर जनपद के सभी उच्चाधिकारी एवं जिलाधिकारी सम्मिलित होते है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि विगत् कुछ समय पूर्व रंवाई क्षेत्र के अन्तर्गत आहूत बैठक में शासकीय कार्यों का हवाला देकर कई अधिकारी अनुपस्थित रहे ? क्या सरकार इस विषय का संज्ञान लेकर इन अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री संजय डोभाल 10.04.2024	3. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के किन–किन गांवो को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा गया और किन–किन गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने की कवायद चल रही है तथा वह कौन–कौन से गांव जिनके निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में मिली है ? क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी विवरण सदन पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री संजय डोभाल 12.04.2024	4. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 30/08/2023 को जनपद उत्तरकाशी के ग्राम सभा पाली में कृषि सम्बन्धी समस्या को द्वष्टिगत रखते हुए किसान मिलन केन्द्र के निर्माण किये जाने की घोषणा की गई थी ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेगें कि घोषणा के अनुरुप विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नही तो क्यों ?	कृषि

Scanned with OKEN Scanner

श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.04.2024	**5.** क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित पत्रांक 2342/पशुपालन/2021–22 दिनांक 17.06.2021 पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि व्यापक जनहित में शासन द्वारा अन्य जनपदों में सम्बद्ध किये गये कार्मिकों को मूल तैनाती स्थल पर किस–किस तिथियों को कार्मिकों की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.04.2024	**6.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नवम्बर, 2023 से मार्च 2024 तक न्यूनतम वारिस होने के चलते काश्तकारों की गेहूं, सरसों, जौ, चना, आलू और मसूर सहित अन्य फसलें बरवादी की कगार पर है एवं प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल सहित मैदानी क्षेत्रों के काश्तकारों की रवी की फसल सूखे के चलते नष्ट हो गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के किसानों को सूखे से नष्ट हुई रबी की फसलों का प्रतिकर अथवा कोई राहत दिये जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.04.2024	**7.** क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत पशु सेवा केन्द्र वन्डवालगांव (थौलधार) का संचालन महिला मिलन केन्द्र वन्डवालगांव तथा पशु सेवा केन्द्र गैड़ (जौनपुर) का संचालन पंचायत भवन में किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि दोनों ग्राम पंचायतों द्वारा पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि दान की समस्त कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि हां, तो पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण कब तक करवा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.04.2024	**8.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर के मुख्यालय थत्यूड़ में ग्रामीण कास्तकारों के हित में मिनी कृषि मण्डी की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि

श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.04.2024	**9.** क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि पशु सेवा केन्द्र हटवालगांव पट्टी सकलाना विकासखण्ड जौनपुर जनपद टिहरी गढ़वाल में पिछले 02 वर्षों से चिकित्सक तैनात न होने के कारण पशुपालकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या पशुपालकों की समस्या का निस्तारण करने हेतु पशु चिकित्सक की तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री सुरेश गढ़िया 03.05.2024	**10.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे, कि आकांशी विकास खंड कार्यक्रम के तहत संचालित किन–किन योजनाओं का कियान्वयन जमीनी स्तर पर ठीक तरह से हो पा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार द्वारा आतिथि तक कितने बार आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी एवं समीक्षा बैठक के बाद उन योजनाओं की प्रगति क्या है ? क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री संजय डोभाल 03.05.2024	**11.** क्या पशुपालन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् चिन्यालीसौड़ में स्थित पशु चिकित्सालय के आवासीय भवन वर्तमान में क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार इन क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री संजय डोभाल 03.05.2024	**12.** क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगॉव बड़कोट में सैनिक विश्राम गृह व पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कैण्टीन खोले जाने के लिए उपलब्ध भूमि का आगणन लोक निर्माण विभाग, बड़कोट द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है ? क्या सरकार बड़कोट में सैनिक विश्राम गृह व सैनिक सुविधा कैन्टीन खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण

डॉ0 प्रमोद नैनवाल **08.05.2024**	**"द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–01 में स्थानांतरित"** **13.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जलागम परियोजना में जनता की मांग के अनुरुप कार्य हो रहे है ? क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि कृषि खेती को जंगली जानवरों जैसे–बन्दरों व सुअरों से बचाने के लिए चैनलिक तार–बाढ़ मात्र 15 प्रतिशत ही रखा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में खाल और चकडैम बनाये जा रहे है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र की कृषि को बचाने के लिए चैनलिक तार–बाढ़ का अंश बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री प्रदीप बत्रा **22.05.2024**	**14.** क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कृषि कार्यों को बढ़ावा देने हेतु सभी जिलों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, 2, 3 के कितने पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में जिलेवार कितने सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, 2, 3 कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा नियमावली बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट **24.05.2024**	**15.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा के अन्तर्गत विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखण्ड में मजदूरी रु0 230 प्रतिदिन है, जबकि इसके विपरीत हरियाणा जैसे अन्य पड़ोसी राज्यों में लगभग रु0 357 है या उससे अधिक है? क्या मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे कि उत्तराखण्ड में अन्य राज्यो की भाँति मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने की कोई योजना गतिमान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री सुरेश गढ़िया **18.06.2024**	**16.** क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री अवगत हैं जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत के कास्तकारों द्वारा कीवी, सेब, स्ट्राबेरी, मशरुम, नेक्टेरिन का उत्पादन व्यापक रुप से किया जा रहा है एवं उक्त बागवानी व्यवसायिक रुप लेती जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2021 से आतिथि तक सेब, स्ट्राबेरी, मशरुम, नेक्टेरिन के सफल उत्पादन व कास्तकारों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है एवं उनके सफल उत्पादन हेतु क्या–क्या सार्थक प्रयास किये गए है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विगत् 2 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आधुनिक व उन्नत तरीके से खेती एवं बागवानी करने हेतु कपकोट विधान सभा क्षेत्र से कितने कास्तकारों को प्रशिक्षण दिया गया है ? क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं फलोद्योग

Scanned with OKEN Scanner

श्री सुरेश गढ़िया 18.06.2024	**17.** क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोराग को जोड़ने वाले मोटर पुल का निर्माण विगत् 4 वर्ष से नहीं हो पाया है, जिस कारण बरसात के समय पिण्डर नदी में पुल न होने से लगभग 1100 लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाते है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आतिथि तक उक्त मोटर पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया एवं विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री महेश जीना 18.07.2024	**18.** क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 205/2023 के क्रम में रामगंगा के किनारे भगेतिया नामक स्थान पर गौशाला का निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भगेतिया नामक स्थान पर गौशाला निर्माण कार्य की योजना गतिशील है तथा गौशाला का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पशुपालन
श्री दलीप सिंह रावत 19.07.2024	**19.** क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पटेलिया नर्सरी, धुमाकोट, पौड़ी गढ़वाल हेतु आतिथि तक विभाग द्वारा कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या भविष्य में उक्त नर्सरी के लिए विभाग द्वारा धन आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं फलोद्योग

नत्थी "घ"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2024 की बैठक में दिनांक 23 अगस्त, 2024 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

अगस्त, 2024

23 (शुक्रवार)

1. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर अनुदानवार चर्चा एवं मतदान।
2. उत्तराखण्ड विनियोग (2024-2025 का अनुपूरक) विधेयक, 2024 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
3. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2024 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
5. उत्तराखण्ड लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2024 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
6. उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
7. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2024 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
8. उत्तराखण्ड राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
9. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2024 का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
10. राज्य विश्वविद्यालय विधेयक उत्तराखण्ड 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुर्नविचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, का विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

असरकारी कार्य।

निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-

1. श्री प्रदीप बत्रा; "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निर्माण की जाने वाले मुख्य मार्गो के निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग में अन्तर्गत आने वाले सभी सीवर लाईन, पेयजल पाईप लाईन, भूमिगत विद्युत/दूरसंचार/गैस पाईप लाईन आदि को भूमिगत किए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को मार्ग निर्माण से पूर्व ही सूचित किया जाए ताकि नवनिर्मित मार्गो को उक्त कार्य हेतु बार-बार खोदकर/क्षतिग्रस्त कर राजकीय हानि किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।"

Scanned with OKEN Scanner

2\. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बग्गा चौव्वन को राजस्व ग्राम घोषित किया जाय।"

3\. श्री मनोज तिवारी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के प्रतिष्ठित डाक्टर एवं समाजसेवी डा0 गजेन्द्र थापा जी की स्मृति में मेडिकल कालेज अल्मोड़ा के किसी एक भवन का नाम उनके नाम पर रखा जाय।"

4\. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के छात्रों के लिये कक्षा-8 तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाकर कक्षा-12 तक कर दिया जाय।"

1\. श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/ तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।"

2\. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डो को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।"

3\. श्री उमेश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

4\. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सन् 2016 में लालढांग में घोषित उप तहसील की स्थापना की जाय।"

Scanned with OKEN Scanner

5. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली में निर्मित नवीन संसद भवन के मुख्य भवन का नामकरण संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम तथा उसके अन्तर्गत आने वाले प्रासादों (परिसर) का नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाय।"

6. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक विधान सभा में गौशालाओं की स्थापना की जाय।"

7. श्री संजय डोभाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के नगरीय क्षेत्रों चिन्यालीसौड़ व बड़कोट की विकट पेयजल समस्या का निदान किया जाय।"

<u>नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-</u>

1. श्रीमती ममता राकेश, — "यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के औद्योगिक ईकाइयों में श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दो सौ पचास बेड का ई0एस0आई0 अस्पताल खोल दिया जाय।"

2. श्री प्रदीप बत्रा, — "यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनों को आयोग में प्रेषित किये जाने से पूर्व इनमें होने वाली अर्हता, रोस्टर प्रणाली, पाठ्यक्रम अन्य सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने एवं इनकी समीक्षा किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाय।"

3. श्री महेश जीना, — "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर कृषि भूमि को सहकारिता के माध्यम से पुनः कृषि योग्य बनाया जाय, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को भी स्थिर किया जा सके।"

Scanned with OKEN Scanner

4. श्री विक्रम सिंह नेगी, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक और विशिष्ट सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थिति/परिस्थिति के मद्देनजर, इस क्षेत्र को संविधान की पांचवी अनुसूची (शेड्यूल-5) में शामिल करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाय।"

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"

2. श्री उमेश कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2022 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"

3. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन" कर दिया जाय।"

4. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउट सोर्सेज से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओ0बी0सी0 लोगों को आउट सोर्सेज के पदो पर आरक्षण का लाभ दिया जाय।"

<u>नियम-54 की निम्नलिखित सूचना के प्रस्तुतीकरण :-</u>

श्री क़ाज़ी निज़ामुद्दीन, "जनपद हरिद्वार गंगनहर के ऊपर बने क्षतिग्रस्त पुलों को पुनः बनाये जाने के सम्बन्ध में"

Scanned with OKEN Scanner